



विनोद वैद्य
Vinod Vaidya
सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
Assistant Registrar (Campus Development)

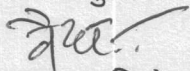
दूरभाष / Phone : +91-7152-232669
मोबाईल / Mob. : 09823499988
फैक्स / Fax : +91-7152-232669
क्रमांक: 34/2014-15/General Work File/01/369
दिनांक: 07.02.2018

कूड़ा निस्तारण हेतु निविदा-3

विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (दक्षिणी परिसर- नजीर हाट, फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास, नागार्जुन अतिथि गृह, माननीय कुलपति एवं प्रतिकुलपति आवास, प्रोफेसर आवास, ट्रांजिट हॉस्टल, प्रथमा भवन, आवास टाइप-डी, महिला छात्रावास, आवास टाइप-सी, अंजली हाइट्स, साहित्य विद्यापीठ, संस्कृति विद्यापीठ, गांधी हिल्स, भाषा विद्यापीठ, वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग, अनुवाद निवर्चन विद्यापीठ, अकादमिक भवन, समता भवन, मुक्तिबोध भवन, केंद्रीय पुस्तकालय एवं दूर शिक्षा निदेशालय उत्तरी परिसर- गोरख पाण्डेय, बिरसा मुण्डा, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु छात्रावास के पास रखे कूड़ेदानों से) में कूड़ा निस्तारण के लिए अपनी वाहन व्यवस्था व एक हेल्पर के साथ प्रतिदिन सभी कूड़ेदानों से कूड़ा तथा बचे हुए भोज्य पदार्थों को निकालकर विश्वविद्यालय परिसर से बाहर ले जाने हेतु निविदा पत्र आमंत्रित किया जाता है।

विवरण	दर (₹)

1. निविदा दिनांक 19.02.2018 (सोमवार) अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार की जाएगी।
2. सीलबंद निविदा केंद्रीकृत डाक विभाग में कार्यालयीन कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) में ही स्वीकार्य होगी। लिफाफे पर स्पष्ट लिखा हो कि 'कूड़ा निस्तारण के लिए निविदा'।
3. आवेदन के साथ निविदाकर्ता के पूर्ण पते का उल्लेख होना चाहिए (प्रमाण संलग्न करें)।
4. Pan Card होना अनिवार्य है (छायाप्रति संलग्न करें)।
5. कूड़ा निस्तारण हेतु प्रथमतः 01 वर्ष की अवधि के लिए कार्य दिया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
6. भुगतान प्रक्रिया विश्वविद्यालय के दोनों गेटों पर की गई इंट्री का मिलान (आने व जाने) किए जाने के उपरान्त की जाएगी।
7. संबंधित को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, पुलिस एवं आर.टी.ओ. आदि के लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. न्यूनतम दर देने वाले को कूड़ा निस्तारण का कार्य दिया जाएगा।
9. कूड़े का निस्तारण संबंधित द्वारा अपने स्तर एवं जिम्मेदारी पर किया जाएगा।
10. उक्त किसी भी शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।


(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. जन सम्पर्क अधिकारी को, (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. संबंधित पत्रावली